न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 23 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 40

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थी

1.महेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह
2.श्रीमती मानकंवर पत्नी भवानीसिंह
3.डिम्पलकंवर पुत्री भवानीसिंह
4.भाग्यश्री पुत्री भवानीसिंह
जाति राजपूत निवासी सिणली
तहसील लूणी जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 19.9.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम देनो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1040/762 क्षेत्रफल 33.6536 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि पर हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नक्शा ट्रेस माफिक राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) अनुसार तरमीम हो रखी थी,लेकिन आन–लाईन सेग्रीगेशन कार्य के दौराने विवादित आराजी की तरमीम रेकर्ड स्थिति के विपरीत करते हुए भू नक्शे में गलत तरमीम की दी गई,जो कि अशुद्ध तरमीम की गई हैं। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का वर्तमान (आन–लाईन) नक्शा में हो रखी तरमीम को निरस्त की जाकर लटढा नक्शा मुताबिक तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नहीं कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। तत्पश्चात विप्रार्थी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम देमो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1040/762 क्षेत्रफल 33.6536 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि पर हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पूर्व में नक्शा ट्रेस में भी माफिक राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) अनुसार तरमीम हो रखी थी,लेकिन आन–लाईन सेग्रीगेशन कार्य के दौराने विवादित आराजी की तरमीम रेकर्ड स्थिति के विपरीत तरमीम कर दी गई,जो कि अशुद्ध तरमीम हो रखी है,जबकि तहसीलदार कल्याणपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि विवादित आराजी की भू नक्शा में गलत तरमीम हो रखी है। अन्त में निवेदन किया कि विवादित आराजी की वर्तमान भू नक्शा में गलत हो रखी तरमीम को निरस्त किया जाकर लटढा नक्शा ट्रेस मुताबिक तरमीम दुरस्ती की जावें।

4.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि परिशिष्ट अ लटढा नक्शा प्रति व प्रस्तावित तरमीम नक्शा प्रति अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि विवादित आराजी की तरमीम गलत हो रखी है। जिसे विप्रार्थी तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि विवादित आराजी की खसरा संख्या 1040/762 के राजस्व लटढा ट्रेस में दर्ज तरमीम व भू नक्शा मैप पर दर्ज तरमीम में भिन्नता है तथा प्रार्थीगण का कब्जा मौके पर लटढा ट्रेस पर दर्ज तरमीम के मुताबिक ही है। भू–नक्शा पोर्टल पर नक्शे में लटढा ट्रेस के अनुरूप ही तरमीम किया जाना उचित बताया है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी की तरमीम गलत हो रखी है,जो तरमीम दुरुस्ती योग्य है। प्रार्थीगण ने बखूबी अपने आवेदन पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित भी किया है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

06.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम—देमो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1040/762 क्षेत्रफल 33.6536 हैक्टयर भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट 'अ' प्रस्तावित नक्शा मुताबिक तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 19·5·24 को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) कल्याणपुर, जिला – बालोतरा

क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 1111 दिनांक 12 / 07 / 2024

प्रेषित :– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
बालोतरा।

विषय :– राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 23 / 2024 प्रार्थी महेन्द्रसिंह बनाम विप्रार्थी तहसीलदार कल्याणपुर में तथ्यात्मक रिपोर्ट बाबत।

प्रसंग :– माननीय न्यायालय के पत्रांक वाद / 2024 / 446 दिनांक 04 / 04 / 2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 आर एल आर एक्त 1956

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 23 / 2024 प्रार्थी महेन्द्रसिंह बनाम विप्रार्थी तहसीलदार कल्याणपुर के सम्बन्ध में पटवारी हल्का कल्याणपुर से जांच करवायी गयी। उक्त सम्बन्ध में पटवारी कल्याणपुर की रिपोर्ट एवं उपलब्ध राजस्व रेकर्ड अनुसार जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है –

1. यह है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम देमों की ढाणी के खसरा संख्या 1040 / 762 रकबा 33.6536 हेक्टर भूमि डिम्पलकंवर पुत्री भवानीसिंह, भाग्यश्री, महेन्द्रसिंह, मानकंवर पि. भवानीसिंह जाति राजपूत सा. सिणली तहसील जोधपुर के नाम दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी की सत्यापित प्रति संलग्न है।
2. यह है कि उक्त खसरा संख्या 1040 / 762 की लट्ठा ट्रेस में तरमीम अंकित है। पटवारी हल्का कल्याणपुर की रिपोर्ट अनुसार उक्त लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम अनुसार ही खसरा संख्या 1040 / 762 के खातेदारों का कब्जा काश्त है। लट्ठा ट्रेस की सत्य प्रतिलिपी संलग्न है, जिसे परिशिष्ट "अ" दर्शाया गया है।
3. यह है कि उक्त खसरा संख्या 1040 / 762 की तरमीम डी आई एल आर एम पी योजना अन्तर्गत राजस्व रेकर्ड ऑनलाइन करते समय भू नक्शा में उक्त तरमीम भिन्न दर्शायी गयी है। जो वर्तमान ऑनलाइन भू नक्शा में वर्तमान में भी इसी अनुसार है। उक्त भू नक्शा की प्रतिलिपी परिशिष्ट "ब" के रूप में संलग्न किया गया है।
4. **यह है कि उक्त खसरा संख्या 1040 / 762 की ऑनलाइन भू नक्शा में तरमीम व लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम में भिन्नता होने से प्रार्थी द्वारा तरमीम दुरूस्ती हेतु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । पटवारी हल्का कल्याणपुर की रिपोर्ट अनुसार लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम (परिशिष्ट 'अ") अनुसार ऑनलाइन भू नक्शा में तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।**

पटवारी हल्का कल्याणपुर की रिपोर्ट एवं राजस्व रेकर्ड की प्रति संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

तहसीलदार (भू.अ.) कल्याणपुर

तहसीलदार (भू.अ.) कल्याणपुर

सेवा में,
श्रीमान तहसीलदार साहब
कल्याणपुर (बालोतरा)

विषय :- राजस्व प्रार्थना पत्र सं. /2024 प्रार्थीगण महेन्द्रसिंह बनाम विप्रार्थी राजस्थान सरकार (जरिये तहसीलदार कल्याणपुर के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट बाबत।

प्रसंग :- माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक राजस्व /2024 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131व 136 RLR Act

महोदय जी,

प्रासंगिक पत्र के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है :- 1) ग्राम देवों की ढाणी के खसरा नं. 1040/762 रकबा 33.6536 हैक्टयर भूमि खातेदार डिम्पलकंवर पुत्री भवानीसिंह, भाग्यश्री, महेन्द्रसिंह, मानकंवर पि. भवानीसिंह जाति राजपूत सा. सिणली तह. जोधपुर के नाम दर्ज है।
2) उपरोक्त खसरा सं. 1040/762 की लट्ठा ट्रेस नक्शा में तरसीम की हुई है। जो कि मौके पर कब्जा काश्त अनुसार है लट्ठा ट्रेस की प्रति संलग्न है। जिसे परिशिष्ट 'अ' दर्शाया गया है।
3) उपरोक्त खसरा सं. 1040/762 DILRMP योजना अंतर्गत राजस्व रेकर्ड को ऑनलाइन करते समय भू नक्शे में तरसीम की गई है। जिसका परिशिष्ट 'ब' संलग्न अनुसार है।
4) उपरोक्त खसरे का राजस्व रेकर्ड एवं मौका निरीक्षण एवं अक्सलाइन नक्शे से मिलान करने पर ऑनलाइन नक्शे एवं लट्ठा ट्रेस में अंकित तरसीम में भिन्नता है। ऑनलाइन नक्शे में दर्ज तरसीम अशुद्ध है। जिसे संलग्न परिशिष्ट 'स' अनुसार शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है।

अतः महोदय जी निवेदन है कि खातेदारान का कब्जा ऑनलाइन नक्शे में तरसीम अनुसार नहीं है। अपितु लट्ठा ट्रेस में अंकित तरसीम अनुसार है। अतः खसरा सं. 1040/762 की तरसीम निरस्त कर पुनः परिशिष्ट 'स' अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

(हस्ताक्षर) 09/05/24
दीपसिंह
पटवारी (भू. अ.)
पटवार मण्डल कल्याणपुर

परिशिष्ट "अ"

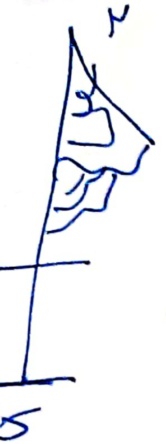

नक्शा - ... - ...

पैमाना = 1" = ...

(मोजबंदी नक्शा की प्रति)

संकेत :-

हरा - रकबा - $\frac{1042}{762}$ की प्रस्तावित ...

C/S

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दीपसिंह
पटवारी (भू. अ.)
पटवार मण्डल कल्याणपुर